न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 16/2014 (223 आरटीए)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/302

उनवान

1. कृष्ण बल्देव पुत्र थानसिंह
2. राधारमन पुत्र थानसिंह
3. जीतेन्द्र पुत्र थानसिंह
4. रामवती पत्नि थानसिंह जातियान जाट निवासियान ग्राम पूंछरी तहसील डीग जिला डीग।
5. सुमित्रा पुत्री थानसिंह पत्नि लक्ष्मनसिंह
6. गायत्री पुत्री थानसिंह पत्नि वीरेन्द्रसिंह जातियान जाट निवासियान ग्राम अजान तहसील कुम्हेर जिला डीग।
7. आशा देवी पुत्री थानसिंह पत्नि जयप्रकाश जाति जाट निवासी सौंख तहसील व जिला मथुरा।
8. विजयसिंह पुत्र हरगुनसिंह
9. सतीश पुत्र हरगुनसिंह
10. पूजा पुत्री हरगुनसिंह जातियान जाट निवासियान खुटिया पोस्ट पैंठा जिला मथुरा (उ.प्र.)।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डीग जिला डीग।

.....रेस्पोंडेंट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2024 अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. डीग व उनवानी मुकदमा थानसिंह बनाम तहसीलदार प्रकरण सं. 47/2023 जीसीएमएस नं. 210/00040

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री हरिकृष्ण शर्मा उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 13.11.2024

1. अपीलांट ने अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2024 अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. डीग व उनवानी मुकदमा थानसिंह बनाम तहसीलदार प्रकरण संख्या 47/2023 जीसीएमएस नं. 210/00040 पेश की है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. डीग में प्रकरण 47/2023 पेश किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 414/0.08 वाके ग्राम पूंछरी सम्वत 2012 में गैरमुमकिन आबादी के रुप में दर्ज था, जिसका साबिक ख.न. 592/2 था, भू–प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा इसकी किस्म बदलकर गैरमुमकिन बगीची दर्ज कर दी गई थी, इस कारण अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2024 को निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स/अपीलार्थी ने अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।
4. विद्वान अधिवक्ता अपील अपीलान्ट बहस सुनी गयी।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 22.06.2023 की अवहेलना की है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अपीलांटस द्वारा सम्वत 2012 की जमाबंदी की प्रति भी प्रस्तुत कर दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने आर.टी.एक्ट की धारा 16 का गलत अर्थ निकाला है, धारा 16 आर.टी.एक्ट. के मुताबिक जब कोई व्यक्ति किसी आराजी को प्रारम्भ से हो रही दर्ज किस्म को बदलवाना चाहता हो, तब यह धारा प्रभाव में होती है। अपीलांट द्वारा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रुप से भूमि की किस्म को पूर्व से परिवर्तित कर किस्म बदली गई थी, जो धारा 16 आर.टी.एक्ट. के तहत नहीं आती है। न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 22.06.2023 को पारित आदेश में सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय की पूर्व के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2022 को अपने आदेश दिनांक 22.06.2023 से अपास्त किया है व प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ भेजा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने निर्देशों की कोई पालना नहीं की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट ने अपील के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व डिक्री दिनांक 11.06.2024 को अपास्त फरमाया जावें एवं आराजी खसरा नम्बर 414/0.08 वाके ग्राम पूंछरी को राजस्व अभिलेख में दर्ज गैरमुमकिन बगीची के स्थान पर गैरमुमकिन आबादी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान किये जावें।

6. हमने अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उन पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया।

7. चूंकि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.06.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में 11.07.2024 को पेश की गई है जो कि अन्दर मियाद है।

8. अपीलान्ट ने अपनी अपील में मुख्य आधार/तर्क यह लिया है कि विवादित आराजी ख.न. 414/0.08 वाके ग्राम पूंछरी सम्वत 2012 में गैरमुमकिन आबादी के रूप में दर्ज था, जिसका साबिक खसरा नम्बर 592/2 था, सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा इसकी किस्म बदलकर गैरमुमकिन बगीची दर्ज कर दी गयी थी। न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 22.06.2023 को पारित आदेश में सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय की पूर्व के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2022 को अपने आदेश दिनांक 22.06.2023 से अपास्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आर.टी.एक्ट. की धारा 16 का गलत अर्थ किया है, धारा 16 आर.टी. एक्ट के मुताबिक जब कोई व्यक्ति किसी आराजी को प्रारम्भ से हो रही दर्ज किस्म को बदलवाना चाहता है, तब वह धारा प्रभाव में होती है एवं इसका अधिकार माननीय कलेक्टर साहब को होता है, जबकि अपीलांट का केस ऐसा नहीं है, अपीलान्ट द्वारा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से भूमि की किस्म को पूर्व से परिवर्तित कर किस्म बदली गई थी, जो धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत नहीं आती है।

9. हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2022 की अपील न्यायालय हाजा में पेश होने पर निर्णय दिनांक 22.06.2023 को अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.2022 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपील के निर्णय दिनांक 22.06.2023 में विवेचित तथ्यों की पृष्ठभूमि में पक्षकार को सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए दावे एवं जबाबदावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर विधि अनुकूल निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2023 को पत्रावली को पुनः दर्ज किया एवं दिनांक 08.02.2024 को दो तनकीयात निम्नानुसार कायम की गई :–

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 414/0.8 वाके ग्राम पूंछरी तहसील डीग अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

2. आय वादी जबाब सरकार की मद सं. 10 अनुसार दावा वादी काबिले खारिजी के है।

उपर्युक्त अनुसार तनकीयात कायम करने के पश्चात् पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की जानी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को वास्ते सुनवाई/बहस हेतु दिनांक 07.03.2024 को नियत की दी गई। तारीख पेशी दिनांक 08.04.2024 को वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012 की पेश की गई जाना अंकित किया गया है एवं पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 02.05.2024 को नियत की गई एवं इसी तारीख पेशी में तहसीलदार डीग को रिपोर्ट पेश किया जाना लिखा गया। आगामी तारीख पेश 02.05.2024 को तहसीलदार डीग को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 07.05.2024 को पेश होने बावत अंकन किया गया। तारीख पेशी दिनांक 07.05.2024 एवं 17.05.2024 को तहसीलदार डीग से कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 11.06.2024 को यह अंकन है कि वकील पक्षकार उपस्थित/पत्रावली का अवलोकन किया गया दावा वादी खारिज किया जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.06.2023 को दिये गये निर्देशों की कोई पालना नही की एवं पत्रावली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रक्रिया अनुसार तनकीयात कायम करने के उपरान्त पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी जाकर उनको साक्ष्य सबूत अवसर पेश किया जाना चाहिए था। जबकि वादीगण द्वारा पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दस्तावेज फॉर्म नं. 03 के साथ दिनांक 08.04.2024 को पेश नकल जमाबन्दी सम्वत् 2012 को भी पत्रावली पर प्रदर्शित नहीं किया गया है एवं इसके उपरान्त विधिवत रुप से पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में रखी जाकर प्रतिवादी को भी साक्ष्य सबूत पेश करने का साक्ष्य सबूत पेश किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं कर बिना उभयपक्षकारान के साक्ष्य सबूत लिए एवं उनका विवेचन किये बिना अविधिक रुप से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2024 पारित किये गये जो हस्तक्षेप योग्य हैं। अतः हम पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का पुर्नविवेचन करने हेतु एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य के प्रतिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार योग्य उचित पाते है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2024 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण पक्षकारों को समुचित सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए विधि अनुकूल निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.12.2024 को पेश होवें।

11. निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

13. पत्रावली में ओर कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर